साप्ताहिक पेशी उंखलिया 25/11

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)गुलाबपुरा (भीलवाडा.)

12/12
16/1
20/2
5/4
26/4

2016/00160

—:सरवरक:—

(कायदा 129)

(General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8)

1 नाम अदालत — सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

2 किस्म मुकदमा — वादपत्र अ0 धारा–53, 88, 188 रा.टि.ए.

3 अनवान मुकदमा

प्रेमदेवी पुत्री धन्नालाल कलाल पत्नि देबीलाल गेवाडा नि–उंखलिया हाल कांयलास बनाम लालीदेवी पत्नि मांगीलाल कलाल नि–उंखलिया

4 नम्बर व सन् मुकदमा — 1756/2016

5 तारीख दायर — 02/11/2016

6 तारीख फैसला — 1/6/2017

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना —

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला :—

9 किस्म मिसल या हिस्सा —

10 किस्म रेकार्ड —

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया ____________

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया ____________

13 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया ____________

14 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है ____________

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया ____________

श्री गोपाल लाल वैष्णव

Scanned by CamScanner

FORM No. III

App.-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर(SDO)गुलाबपुरा मुकाम

श्रीमति प्रेमदेवी पत्नी धन्नालाल बलाई पत्नी देवीलाल मेवाड़ा निवासी आगरिया बनाम श्रीमति लालीदेवी पत्नी मांगीलाल बलाई निवासी आगरिया

किस्म मुकदमा वादपत्र- 53-88-188 रा.का.अ. नं. 1756 /2016 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	01/06/2017 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट आगरिया पर पेश हुई। वकील वादी व पैरोकार राज्य उपस्थित हुये। पैरोकार राज्य ने जवाबदावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली रहे। नकल वकील वादी को दिलाई जावें। वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में करवाये जाने की इल्तजा करने पर वकील वादी व पैरोकार की बहस सुनी गई। बवक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी जेर बहस वादीगण के पिता धन्नालाल पुत्र बिरदा उर्फ बरदा बलाई के नाम दर्ज थी, तथा खातेदार धन्नालाल की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण मृतक खातेदार धन्नालाल की पुत्रियाँ होने से उनका भी मौरूसी हक अधिकारों के तहत आराजी मुतनाजिया में 1/3 - 1/3 हक हिस्सा निहित है, और इसी हक हिस्से के अनुसार वादीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वकील वादी का बहस में आगे यह भी कथन किया कि वादीगण ने अपने भाई प्रतिवादी सं0-1 के पति मांगीलाल के जीवनकाल में अपना हक हिस्सा दर्ज कराने बाबत निवेदन किया जाने पर उनके द्वारा अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा व उत्तरदायित्वो का हवाला देते हुये शीघ्र ही हल्का पटवारी से मिलकर जमाबन्दी में विरासत से वादीगण का नाम दर्ज करवाने का आश्वासन दिया था, किन्तु मांगीलाल गम्भीर बिमारी निरन्तर---	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की अवस्था में होने से उनका अकस्मात निधन हो जाने से मृतक काश्तकार पन्नालाल की समस्त आराजी प्रतिवादी सं0-1 लालीदेवी , जो मांगीलाल की पत्नी है, उसके नाम दर्ज हो गई । प्रतिवादी सं0-1 अपने जाति के बल पर सम्पूर्ण आराजीयात को **हड़प** खुर्द बुर्द , बेचान करने पर आमादा है । अन्त में कथन किया कि वादीगण अपने पिता के खातेदारी हक हकूक की आराजीयात में अपने मौरूसी हक अधिकारी से वादग्रस्त आराजी में 1/3 , 1/3 हक हिस्से की घोषणात्मक डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी होने से वे यथा वादी डिग्री फरमाया जावें । पैरोकार राज का कथन था कि आराजी-मुतनाजिया में मृतक के वारिसान का नाम जोड़ा जाना उचित है । मैंने उभयपक्ष की बहस को सुना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है :- पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सं0- 2034 से 2037 मौजा ऊगानियाँ तहसील हुरड़ा के अनुसार वादग्रस्त आराजी सं0- 913 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा तथा आराजी सं0- 642, 644, 654, किता-3 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा भूमि पन्ना पिता बिरदा जाति बलाई सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना तथा हाल जमाबन्दी सं0- 2071 से 2076 मौजा ऊगानियाँ तहसील हुरड़ा के अनुसार वादग्रस्त आराजी सं0- 642, 644, 654, 913, किता-4 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि लाली पत्नी मांगीलाल बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है । यहाँ वादीगण का कथन यह है कि आराजी मुतनाजिया उनके पिता पन्नालाल के निरन्तर--	

26.

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खातेदार थी थी, इसमें उनका भी समान हक हिस्सा निहित है । विवादित आराजीयात के हाल खातेदार प्रतिवादी सं०-1 ने भी वादपत्र सूचना के किसी प्रकार से वादीगण के दावे का कोई खण्डन नहीं किया गया, कोई जवाबदावा आदि भी पेश नहीं किया । इससे भी वादीगण के दावे की पुष्टि स्वीकार की जाती है । प्रतिवादी सं०-2 पैरोकार तहसील ने भी वादीगण का नाम जोड़ा जाना उचित बताया है ।

पुनः यहाँ ये तो निर्विवाद है कि आराजी मुतनाजा [illegible] के हक की है और वादीगण उनकी पुत्रियाँ है । इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 की धारा-8 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पिता की सम्पत्ति में उनकी पुत्रियों का भी समान हक हिस्सा माना गया है । तदनुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है :-

निर्णय
=====

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा [illegible] तहसील हुरड़ा की आराजी नं०- 642, 644, 654, 913 किता-4 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार नानी पत्नी [illegible] के साथ वादीगण को 1/3, 1/3 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार करे । पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे । निर्णय आज दिनांक 01/06/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner